

## आर्थिक अपराध ब्यूरो की छूट के खिलाफ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नयिम

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक महत्वपूर्ण नरिणय में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नरिणय दया है कि **छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध जाँच ब्यूरो** को **सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005** के प्रावधानों से छूट देते हुए **7 नवंबर, 2006** की अधिसूचना कथति अधिनियम की धारा 24(4) के पहले प्रावधान का खण्डन करती है।

### मुख्य बदि:

- नरिणय के अनुसार, **छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन वभाग द्वारा** जारी अधिसूचना सरकार को उक्त ब्यूरो द्वारा की गई संवेदनशील और गोपनीय गतिविधियों से संबंधति जानकारी को छोड़कर, ब्यूरो से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधति जानकारी को रोकने की अनुमति नहीं दे सकती है।
  - इस फैसले के आलोक में न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण अधिसूचना जारी करने का नरिदेश दया।
- 15 नवंबर, 2016 को RTI कार्यकर्त्ता और याचिकाकर्त्ता ने एक आवेदन दायर कर आर्थिक अपराध जाँच ब्यूरो से जानकारी मांगी थी।
  - जवाब में आर्थिक अपराध वभाग ने यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर दया कि राज्य सरकार ने 7 नवंबर, 2006 को जारी अधिसूचना के जरयि एजेंसी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी देने से छूट दे दी है।
  - इस अधिसूचना को चुनौती देते हुए, RTI कार्यकर्त्ता ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 (4) में उल्लेख है कि किसी भी संस्थान को भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधति जानकारी प्रदान करने से छूट नहीं दी जा सकती है।**

### सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005

- सूचना का अधिकार अधिनियम एक वधायी ढाँचा है जो **भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों के पास उपलब्ध जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।** वर्ष 2005 में अधिनियमति इस अधिनियम का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शति, जवाबदेही और भागीदारी को बढ़ावा देना है।
- इसने **सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002** को प्रतस्थापति कया है।
- RTI अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधान **वर्ष 1923 के आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, मौजूदा कानूनों** अथवा इस अधिनियम के अलावा अन्य कानूनों के माध्यम से स्थापति किसी भी समझौते के साथ किसी भी वरिधाभास के बावजूद प्रभावी होंगे।